संख्या-73/2016/1062/41-2016-22 यो0/16

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 16 जून 2016**

विषय- भारत सरकार के प्रासाद योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के सारनाथ में ध्वनि एवं प्रकाश शो हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-104/6-1-1(489)/प्रासाद/15-16, दिनांक 04-05-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रासाद योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के सारनाथ में ध्वनि एवं प्रकाश शो हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विद्युत इकाई, वाराणसी द्वारा गठित आगणन रू0 859.34 लाख के परीक्षणोपरान्त लागत रू0 733.66 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 171.87 लाख धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र सं0- 5 प्रासाद (11)/2015, दिनांक 17-03-2016 के द्वारा उक्त योजनाएं अनुमोदित की है। उक्त स्वीकृत पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2. प्रश्नगत योजनाओं का कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्ज देय नही होगा।
5. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
6. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या ई-7-482/दस-16, दिनांक 16;06;2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-73/2016/1062(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
8- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विद्युत इकाई, वाराणसी।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी।
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in